



2026:AHC:26320

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी सं. - 4705 सन् 2026

मिनता देवी

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उ.प्र. राज्य और 5 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता(गण) : हनुमान किंकर, ललित ओझा

प्रतिवादी के अधिवक्ता(गण) : सी.एस.सी.

न्यायालय सं. - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
2. यहां पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को ध्यान में रखते हुए, विपक्षी को नोटिस में डालकर और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। हालांकि, यदि विपक्षी आदेश से व्यथित महसूस करता है तो आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने के उसके अधिकार को सुरक्षित रखा जा रहा है।
3. वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगा गई मूल राहत प्रतिवादी संख्या 2/तहसीलदार तहसील रुद्रपुर, जिला देवरिया को उत्तर प्रदेश राजस्व अधिनियम की धारा 34 के तहत याचिकाकर्ता द्वारा दायर वाद संख्या 2670 सन् 2021 पर निर्धारित अवधि के भीतर निर्णय लेने का निर्देश देना है, जो तहसील रुद्रपुर, जिला देवरिया के तहसीलदार को न्यायालय में लंबित है।
4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि नियमावली, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार, इस तरह के आवेदनों पर समयबद्ध अवधि के भीतर निर्णय लिया जाना चाहिए। नियम 34 का उप नियम (7) इस प्रकार है: -
"(7). तहसीलदार मामले के पंजीकरण की तारीख से 45 दिनों की अवधि के भीतर दाखिल-खारिज के अविवादित मामले और 90 दिनों की अवधि के भीतर दाखिल-खारिज के विवादित मामले पर निर्णय करने का प्रयास करेगा और यदि ऐसी अवधि के भीतर कार्यवाही समाप्त नहीं होती है तो इसका कारण दर्ज किया जाएगा।"
5. आगे यह तर्क दिया जाता है कि हालांकि उपरोक्त अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, इसलिए वर्तमान रिट याचिका दायर की गई।
6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, वर्तमान रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है जिसमें अंतिम रूप से तहसीलदार, तहसील सहजनवा, जिला गोरखपुर को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के नियम 34 के उप-नियम (7) के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त मामले का निर्णय करने का, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो, निर्देश दिया जाता है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

फरवरी 5, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"